दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के प्लानिंग असिसटेंट

*७७६. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के प्लानिंग असिस्टेंट के पद के लिये निर्धारित वेतन-क्रम और न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ; और

(ख) इस समय इस पद पर कौन काम कर रहा है ; क्या वह सभी निर्धारित अर्हताओं को पूरा करता है और यदि नहीं तो उस की नियुक्ति का क्या कारण है ?

†[PLANNING ASSISTANT IN THE SOCIAL WELFARE DIRECTORATE OF DELHI ADMINISTRATION

*776 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) what is the prescribed scale of pay and minimum qualifications for the post of Planning Assistant in the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration; and

(b) who is working in this post at present; whether he fulfils all the prescribed qualifications and if not, what is the reason for his appointment?]

शिक्षा मंत्री (डा० कालूलाल श्रीमाली) : (क) तथा (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) निर्धारित वेतन मान २१०–१०–२८०–१५–३८० रु० है । उस पद पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यतायें आदि अभी निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) श्री बी० एफ० शर्मा को, जो निदेशालय में १७०–३८० रु० के वतन मान में तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहे थे, तरक्की दे कर अस्थायी रूप से आयोजना सहायक का पद दे दिया गया था । इस पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर नियमित रूप से नियुक्ति यथासमय की जायगी ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K. L SHRIMALI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The prescribed scale of pay is Rs. 210-10-280-15-380. Recruitment rules for this post prescribing minimum qualifications etc. have not yet been finalised.

(b) Shri B. F. Sharma, who was already working in the Directorate as Technical Assistant in the scale of Rs. 170-380 was promoted to the post of Planning Assistant on a purely temporary basis, pending regular appointment by promotion on the recommendation of the Departmental Promotion Committee]

श्री नवाबसिंह चौहान : प्रश्न ७७५ के उत्तर में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस में एक टेक्निकल असिस्टेंट की योग्यता के बारे में यह लिखा है कि उस को ग्रेजुएट होना चाहिये, सोशियल साइन्स, इकोनामिक्स, साइकोलॉजी तथा सोशियल लेजिस्लेशन का ज्ञान होना चाहिये । किन्तु इस स्टेटमेंट के साथ जो विज्ञापन दिया गया है उसमें यह भी लिखा है Persons having knowledge of stenography will be given Preference. इस के साथ ही साथ इस में यह भी लिखा है :— Relaxable in case of candidates working in the Directorate of Social Welfare Board. इस विज्ञापन में जो यह बात दी हुई है कि जो लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं उन्हें अधिमान दिया जायेगा तो इस का मतलब क्या हम यह समझ लें कि इस चीज में बाहर वालों के साथ

†[ ] English translation.

तो भेद बरता हो गया है, साथ ही साथ क्या इस का मतलब शायद यह नहीं है कि उन के दिमाग में कोई स्टेनोग्राफर था जिस के कारण उन्होंने रूल्स में यानी विज्ञापन में इस तरह का परिवर्तन किया है ?

डा० कालू लाल श्रीमाली : अभी तो कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है और आप कृपा कर के किसी तरह का निर्णय न निकालें ।

श्री नवाबसिंह चौहान : नियुक्ति नहीं हुई है लेकिन इस तरह का प्रयत्न तो किया गया है । अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि डायेरेक्टर के स्टेनोग्राफर को सेलेक्शन बोर्ड के सदस्यों ने इसलिये खारिज कर दिया क्योंकि डायरेक्टर उस को वहां पर रखना चाहता था ?

डा० कालू लाल श्रीमाली : यह आप की इत्तिला होगी, मेरे पास इस तरह की इत्तिला नहीं है । जहां तक मुझे मालूम है इस जगह पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है । पहले इस बात की कोशिश की गई कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज से इस योग्यता का कोई आदमी मिल जाय लेकिन एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से इस योग्यता का कोई आदमी नहीं मिला । मैं आप को इतना आश्वासन दे सकता हूं कि इन नियुक्ति में कोई तरफदारी नहीं की जावेगी ।

श्री नवाबसिंह चौहान : हमें मालूम है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज से बहुत से नाम मंगाये गये थे, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिये । क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टेनोग्राफर उन के सामने पेश हुए थे उन की क्या क्वालिफिकेशन्स थीं ? क्या इस स्टेनोग्राफर की योग्यता उन से ज्यादा थी जिन के नाम खारिज कर दिये गये ?

DR. K. L. SHRIMALI: So far no selection has taken place. The post is still lying vacant. I do not know what the hon. Member is arguing about. The Department has every right to look at all places, including their own Department.

श्री नवाबसिंह चौहान : इस में यह लिखा है कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी के सामने यह चीज रखी जाती है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब श्री बी० एफ० शर्मा का भी केस इस डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी के सामने रखा गया था तब उसने उस को रिजैक्ट कर दिया था । लेकिन वह अब भी उस पद पर बना हुआ है, इस का क्या कारण है ? क्या डायरेक्टर को इस तरह का अधिकार है कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी जिस आदमी को रिजेक्ट कर देती है उस को फिर उसी पद पर बनाये रखा जा सकता है ?

DR. K. L. SHRIMALI: The Director of Social Welfare cannot keep anybody in any position if that appointment has been rejected by the Departmental Promotion Committee.

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन परिवीक्षा योजना लागू करने के लिये भर्ती किये गये परिवीक्षा अधिकारी

*७७७. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन परिवीक्षा योजना लागू करने के लिये दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय में तीन परिवीक्षा अधिकारी भर्ती किये गये थे ; और